माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु

प्रवेश नियमावली

Session 2023-24

प्रवेश–नियम

1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित निर्देशानुसार किये जायेगें। विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

   नोट : सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये लिंक पर समस्त वांछित सूचनायें भरकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। अभ्यर्थी एक से अधिक ऐसे पाठ्यक्रम में जिनकी अर्हतायें पूर्ण करता हो में पंजीकरण करा सकता है। विश्वविद्यालय आरक्षण/कोटा के निर्धारित नियमानुसार पाठ्यक्रमानुसार वरीयता सूची जारी करेगा। वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के चयन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा काउंसलिंग (Counselling) आयोजित की जायेगी। तदोपरान्त् चयनित अभ्यर्थियों के पंजीकरण के समय अपलोड किये डाटा को मूल पत्राजातों से सत्यापित कर गोपनीय कोड (Confidential Code) की सहायता से उसके द्वारा चुने गये विषय/पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पोर्टल पर वरीयता सूची हेतु निर्धारित समयावधि में प्रवेश सम्पुष्ट किया जायेगा। वरीयता सूची हेतु निर्धारित समयावधि के उपरान्त सूची में नाम होने के उपरान्त भी प्रवेश का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को यदि सीटें रिक्त रहती है तो ओपन वरीयता सूची में नियमानुसार प्रवेश का अवसर दिया जा सकता है। सभी वरीयता सूची एवं सूची से सम्बधिंत समस्त सूचनाओं की प्रति प्रवेश समिति द्वारा संरक्षित रखना अनिवार्य है।

(क) (i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को वि.वि. की बेवसाइट www.msuniversity.ac.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट (स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हुत स्नातक) की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, आधार नम्बर, स्वयं का मोबईल नम्बर, स्वयं का ई–मेल आई.डी. होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में शैक्षिक विवरण के साथ भारांक विवरण यदि कोई हो तो भरने के बाद वांछित पाठ्यक्रम (संलग्न तालिका के अनुसार) का चयन करना आवश्यक होगा। आवेदन–पत्र का प्रिन्ट प्री–व्यू प्रविष्टि से पूर्व भली–भाँति चेक कर लें। अभ्यर्थी यह स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, त्रुटियुक्त प्रविष्टि भरने पर किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। तद्उपरान्त फोटो व हस्ताक्षर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी प्रवेश फॉर्म/फीस रसीद की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु आपने पास संरक्षित रखें।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuniversity.ac.in पर दिये गये लिंक ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उनकी मूल प्रति द्वारा सत्यापित करेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(iii) प्रवेश हेतु योग्यताक्रम (मेरिट) सूची विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जायेगी। वरीयता सूची नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर प्रकाशित/प्रदर्शित की जायेगी। समस्त अभ्यर्थियों को वरीयता सूची प्रवेश नियमों हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट और नोटिस बोर्ड का समय–समय पर अनिवार्य रूप से अवलोकन करना होगा। वरीयता सूची में नाम सम्मिलित होने की सूचना अन्य किसी माध्यम से दिया जाना अनिवार्य नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित अवधि में वरीयतानुसार सूची में नाम आने पर ही लिया जा सकता है। योग्यता सूची के प्रवेश हेतु ऑफर लेटर अपने लॉग इन आई0डी0 से डाउनलोड कर सम्बन्धित पाठ्यक्रम में गोपनीय कोड के साथ प्रवेश के समय देने पर ही प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते है। ऑफर लेटर अभ्यर्थी अपने लॉगइन से ही प्राप्त कर

सकता है तथा प्रवेश सम्पुष्टिकरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची के प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर किसी भी अभ्यर्थी का वरीयता सूची में नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कुल 03 वरीयता सूची जारी करने के पश्चात् यदि सीटे रिक्त रहती है तो ओपन मेरिट जारी होगी।

(iv) ओपन मेरिट में अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के समय चयनित पाठ्यक्रम में ही प्रवेश हेतु नियमानुसार अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में पंजीकरण फार्म में प्रदर्शित चयनित पाठ्यक्रम की शर्त को भी शिथिल किया जा सकता है। विषय चयन हेतु अर्हता शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

(v) आरक्षित श्रेणी की अन्तिम सूची के उपरान्त पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर ओपन वरीयता सूची में अनारक्षित श्रेणी/सामान्य के अर्ह अभ्यर्थियों से (पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) भरे जा सकते हैं।

(ख) प्रवेश, न्यूनतम अर्हता में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार, गठित प्रवेश समिति द्वारा पत्राजात (अंकतालिका) की उचित जाँच पड़ताल के उपरान्त ही किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग अभ्यार्थियों (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग आदि) हेतु कुल 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित हेतु 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगें। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। किसी भी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर EWS (Economic Weaker Section) श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा भरी जायेगी। EWS अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में ये सीटें किसी भी दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी जायेगी। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ केवल उ0प्र0 निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा।

नोटः– यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये हैं, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(ग) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश सभी पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी)। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि प्रवेश सम्पन्न होने के उपरान्त भी कोई रिक्त सीट बचती है तो अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा को शिथिल किया जा सकता है।

(ii) प्रवेश सत्र 2023–24 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(घ) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(ड़) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0ए0/एम0कॉम0/एम०एस०सी० की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, वह अन्य विषय में स्नातकोत्तर हेतु प्रवेश ले सकता है। परन्तु उसका स्नातकोत्तर का वह विषय स्नातक के तृतीय वर्ष में वह विषय/सम्बद्ध विषय होना अनिवार्य है। कोई भी छात्र अधिकतम दो विषय में ही स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर सकता है।

(च) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नात्तक परीक्षा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी। अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा NIOS की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

(छ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ज) स्नात्तकोत्तर प्रथम वर्ष (उच्च शिक्षा के चतुर्थ वर्ष) में प्रवेश तभी अनुमन्य होगें जब स्नात्तक कक्षा अनुवार्य रूप से उत्तीर्ण हो। स्नात्तक के किसी भी सेमेस्टर/वर्ष में बैक अथवा अपूर्ण परीक्षा परिणाम की स्थिति में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(झ) विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त अध्ययनरत् छात्रों को डिजीलॉकर पोर्टल **(**www.digilocker.gov.in**) and ABC(Academic Bank ofCredits)**पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। छात्रों की मूल अंकतालिका डिजीलॉकर पर होना अनिवार्य है। जिन छात्रों का डाटा डिजीलॉकर पर उपलब्ध नहीं रहेगा। उनके अभिलेख मान्य नहीं किये जायेगें।

विशेष नोट :

1) ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

2) विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्यतः 01 सेक्शन 30 अभ्यर्थियों का निर्धारित है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से आच्छादित रहेंगे।

3) ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग– 2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/ सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870/ सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006तथा शासनादेश संख्या– 421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।''

4) किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि वह विषय इण्टरमीडिएट / स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5) ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो एवं उसका परीक्षा फॉर्म अग्रसारित किया गया परन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6) अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक(Weightage) दिए जायेंगेः–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4% अंकों का अधिभार, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय / चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक / परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4% अंकों का अधिभार, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय / सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों / कर्मचारियों के (पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति) के लिए।

(स) (i) मेरिट प्रतिशत में 3% अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCCका "C'' या "G-II"सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2% अंकों का अधिभार,ऐसेअभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B'' या "G-I'' सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3% अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ–साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7 / 10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2% अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7 / 10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1% अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर / रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा–

(i) मेरिट प्रतिशत में 4% अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3% अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने / निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2% अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान / गुरूपद / प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1% अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान / ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

नोट– (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8% अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय के नियमित/अनुमोदित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12% अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7) कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न कर दिया जाये। भारत में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम PIHEAD (Promotion of Indian Higher Education Abroad) के अर्न्तगत विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

8) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

9) कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए तब तक अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। विश्वविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने प्रेषित नहीं करेगा।

10) कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

11) बैक परीक्षा/अंक सुधार में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश का पात्र होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

12) यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी में सुधार होता है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा। (किन्तु कृपांक अंकों की गणना मेरिट सूची में नहीं की जायेगी)।

13) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

14) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

15) किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

16) प्रवेश के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

17) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

18) समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छदित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

19) छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षासे पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

20) अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मान्य तथा अमान्य विश्वविद्यालय एवं बोर्ड की सूची समय–समय पर संशोधित हो सकती है।

21) अभ्यर्थी जिस कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है उसकी गैप वर्ष की गणना अर्हता परीक्षा से की जायेगी। गैप वर्ष अन्तराल की स्थिति में प्रतिवर्ष के 02 प्रतिशत अंक काट कर ही वरीयता सूची जारी की जायेगी।

(Note:- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.)

कुलसचिव

Bhartiya Shiksha Parishad is fake institution functioning in contravention of the UGC Act, 1956. The Hon'ble Civil Court (JD) Lucknow has granted interim stay to the Parishad and has restrained UGC from calling it as fake or treating if fake till the final decision in the matter. The UGC has initiated action to get the stay vacated. However, in compliance of the order of the Hon'ble Court the UGC has for the time being decided to exclude the name of the Bhartiya Shiksha Parishad from the list of take institutions.

Maa Shakumbhari University Saharanpur Campus Programs

session 2023-24 and its Structure

Faculty/School	Program Name	Subject	Yearly/ Semester	Duration Semester (years)	Seat Sanctioned	Prerequisite	Minimum Qualification	CBCS Yes/No	Course Duration Maximum	Admission Criterion
Faculty of Languages										
School of English and Cultural Studies	**M.A.**	English & Cultural Studies	Semester	4(2)	30	English at Graduation in all three years	Bachelor's Degree 10+2+3 with 45% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Hindi	**M.A.**	Hindi	Semester	4(2)	30	Hindi at Graduation in all three years		Yes	4 years	On Merit Basis
School of Sanskrit	**M.A.**	Sanskrit	Semester	4(2)	30	Sanskrit at Graduation in all three years		Yes	4 years	On Merit Basis
Faculty of Arts										
School of Ancient Indian History, Culture and Archaeology	**M.A.**	Ancient Indian History, Culture and Archaeology	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with History as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of History	**M.A.**	History	Semester	4(2)	30			Yes	4 years	On Merit Basis

Faculty/School	Program Name	Subject	Yearly/ Semester	Duration Semester (years)	Seat Sanctioned	Prerequisite	Minimum Qualification	CBCS Yes/No	Course Duration Maximum	Admission Criterion
School of Political Science	**M.A.**	Political Science	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Political Science as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Psychology	**M.A.**	Psychology	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Psychology as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Philosophy	**M.A.**	Philosophy	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Philosophy as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Public Administration	**M.A.**	Public Administration	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Public Administration as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Sociology	**M.A.**	Sociology	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Sociology.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Social Work	**M.S.W**	Social Work	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis

Faculty/School	Program Name	Subject	Yearly/ Semester	Duration Semester (years)	Seat Sanctioned	Prerequisite	Minimum Qualification	CBCS Yes/No	Course Duration Maximum	Admission Criterion
							A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Sociology or Social Work as major subject.			
School of Economics	**M.A.**	Economics	Semester	4(2)	30		Bachelor's Degree 10+2+3, with Economics as a subject. A Candidate having Mathematics as one of the main subject at graduation or 10+2 level or those with B.B.A/B.Com/B.C.A. degree, are also eligible with 50% marks and a weightage of 5% for the candidates having economics as major subject at graduation level.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Human Rights	**M.A.**	Human Rights and Duties	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Human Rights as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Women Studies and Development	**M.A.**	Women's Studies and Development	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks.		4 years	On Merit Basis
School of Defence and National Security	**M.A.**	Defence and Strategic Studies	Semester	4(2)	30		Graduate 10+2+3 Candidates from all streams can apply with 50% marks. A weightage of 5% marks will be given to candidate graduation with Defence and Strategic Studies as major subject.	Yes	4 years	On Merit Basis

Faculty/School	Program Name	Subject	Yearly/ Semester	Duration Semester (years)	Seat Sanctioned	Prerequisite	Minimum Qualification	CBCS Yes/No	Course Duration Maximum	Admission Criterion
Faculty of Science										
School of Mathematics	**M.Sc.**	Mathematics	Semester	4(2)	30	Mathematics at Graduation in all three years	B.Sc. 10+2+3 with Mathematics as major subject with 50% marks in aggregate.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Statistics	**M.Sc.**	Statistics	Semester	4(2)	30	Mathematics or Statistics at Graduation in all three years	B.Sc. 10+2+3 with Statistics or Mathematics as Major subject with 50% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Environmental Studies	**M.Sc.**	Environmental Studies	Semester	4(2)	30		B.Sc. with PCM/CBZ or B.Sc. Microbiology/Biotechnology or Bio-chemistry or MBBS/BDS/B.Tech in Civil Engineering with 50% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Public Health	**M.Sc.**	Public Health	Semester	4(2)	30		Graduate with Life Science/Allied Health Science/Environmental Science/Food & Nutrition Science/Anthropology with 50% marks	Yes	4 years	On Merit Basis
Faculty of Business Management and Commerce										
School of Commerce	**M.Com.**	Entrepreneurship and Family Business	Semester	4(2)	30		Graduate with Commerce or Management with 50% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Business Management	**MBA**	Artificial Intelligence and Machine Learning	Semester	4(2)	30		Graduate with Mathematics, Statistics, B.Sc.(Computer Science), B.B.A/BCA/ B.Tech/B.E. with 50% marks in the aggregate.	Yes	4 years	On Merit Basis

Faculty/School	Program Name	Subject	Yearly/ Semester	Duration Semester (years)	Seat Sanctioned	Prerequisite	Minimum Qualification	CBCS Yes/No	Course Duration Maximum	Admission Criterion
Faculty of Law										
School of Legal Studies	**Master of Law**	Law	Semester	4(2)	30		L.L.B. 3 years Or integrated 5 years course with 50% marks.	Yes	4 years	On Merit Basis
Faculty of Education										
School of Lifelong learning and Extension	**M.A.**	Lifelong Learning and Extension	Semester	4(2)	30		Bachelor's Degree 10+2+3 with 50% marks. The candidate who has passed B.El.Ed. Degree with at least 50% marks in aggregate or an equivalent grade point will also be eligible for admission.	Yes	4 years	On Merit Basis
School of Community Education & Disabilities	**M.A.**	Community Education and Disabilities	Semester	4(2)	30		Bachelor's Degree 10+2+3 with 50% marks. The candidate who has passed B.El.Ed. Degree with at least 50% marks in aggregate or an equivalent grade point will also be eligible for admission.	Yes	4 years	On Merit Basis
	Passing Criterion: 33% marks in External theory paper with an aggregate of 40% in Ext+Int and with CGPA 5.0 or above Third Division: No provision Second Division: CGPA Less then 6.5 and above 5.0 First Division: CGPA 6.5 or above									

For SC/ST candidates 5% relaxation in the minimum eligibility conditions percentage of marks in respect of qualify examination will be given.

Note: All the courses running under National Education Policy 2020 at PG level are governed by UP Higher Education Guidelines and MS University ordinance for NEP2020 under graduate and post graduate courses. These are available on university website www.msuniversity.ac.in .

General Rules

1. No person who is a history-sheeter according to the police records or has been convicted for an offence involving moral turpitude shall be admitted to a course in the University and, if already admitted, his/her admission shall be cancelled immediately after the facts of the case are known.
2. Where it is discovered that a candidate has been punished on account of using unfair means in any examination or has been expelled from any educational institution, he/she shall not be admitted.
3. The University has the right to cancel, at any stage, the admission of a candidate if it is discovered that he/she was not entitled to admission in accordance with the prevailing rules and regulations. Admission, at any stage, may also be cancelled if deemed fit in the interest of the University.
4. The University has the right to cancel, at any stage, the admission of a candidate if it is discovered that he/she has used for admission the degrees/diplomas/certificates obtained from unrecognized and unapproved institutions/fake universities/institutions/ boards. The applicants are, therefore, advised to refer to the websites of UGC (www.ugc.ac.in), the AICTE (www.aicte.ernet.in) and DEC (www.dec.ac.in) to verify.
5. Candidates found using unfair means in Entrance test will not be allowed admission and will also be debarred from any future Entrance Test.
6. A student shall not be admitted to any school of the University, if he/she is suffering from a disease of a nature, which may be detrimental to the health of the fellow students.
7. No fresh admission shall be made in the second semester of any programme of study.
8. Inter-subject transfers will not be allowed at any stage of admission process. The candidates may, however, apply on separate application forms for different courses depending upon their eligibility.
9. Admission of students joining the various courses will be provisional and will be confirmed by the Admission Committee of the University only on the verification of the certificates in original on the basis of which they are admitted.
10. If a candidate remains absent continuously for ten days after admission, his/her admission shall stand cancelled.
11. Admission of foreign students, if selected, would be subject to a clearance from the Department of Education, Ministry of HRD, Government of India and Sr. Superintendent of Police, Saharanpur. Foreign students are encouraged to apply for admission under PIHEAD programme of UGC.
12. For the purpose of admission, the claim of the applicants included in a particular Merit List shall cease after the scheduled reporting time.
13. No candidate should be permitted to switch admission to other courses (self-financed or regular) without completion/cancellation of the first one.
14. For all purposes, decision of the Admission Committee with the approval of the Vice-Chancellor, who is the Chairperson, shall be final and binding on each applicant.

Note::*The information contained in the Information Brochure is only for general guidance and should not be treated as a legal document. It could be changed/modified from time to time by the Academic Bodies/Admission Committee/Authorities of the Maa Shakumbhari University Saharanpur.*

It is to be noted that ignorance of any rule cannot be treated as an excuse for its breach

Weightage for PG Courses in Campus

Applicants falling under categories (i), (ii), (iii), (iv), and (v) given below will be entitled to weightage mentioned against the same. For the purpose of admission, the weightage shall be added to the percentage obtained in the qualifying examination (after calculating the percentage in case of subjects having practical papers/exams)/marks obtained in entrance test, as the case may be, while determining the rank.

(i) A weightage of four percent will be given in case of a candidate having certificate of participation at National/ State/ Inter University level in a team/ Individual event recognised by the Association of Indian Universities (AIU) or the Indian Olympic Association (IOA) while pursuing the qualifying degree/class.

(ii) A weightage of four percent will be given to Chaudhary Charan Singh University/Maa Shakumbhari University, Saharanpur graduates, in case of admission to PG classes.

(iii) A weightage of two percent will be given to candidates having Honours Degree in the subject in which the admission is being sought at post-graduate level.

(iv) A weightage of four percent will be granted to the son(s)/daughter(s)/spouse of the employee of Maa Shakumbhari University, Saharanpur and its affiliated colleges.

(v) Three percent weightage will be given to those candidates, who have secured C/G–II certificate of N.C.C., while pursuing the qualifying degree/class. Or Two percent weightage will be given to those candidates, who have secured B/G–I certificate of N.C.C., while pursuing the qualifying degree/class. Or Three percent weightage will be given to those candidates, who have served for 240 hours under N.S.S. and participated in two camps of seven and ten days, respectively, while pursuing the qualifying degree/class. Or Two percent weightage will be given to those candidates, who have served for 240 hours under N.S.S. and participated in a camp of seven/ ten days, while pursuing the qualifying degree/class. Or One percent weightage will be given to those candidates, who have served for 240 hours under N.S.S. and participated in a camp of 120 hours, while pursuing the qualifying degree/class. Note: A candidate claiming weightage/s will enclose copy/copies of relevant certificate/s in support of his/her claim with the application form, at the time of admission. In no case the total weightage of more than eight marks (percent) will be given to a candidate. In case an applicant is covered under (iv) above, the total weightage admissible is up to 12 marks (percent). No weightage will affect the minimum eligibility conditions prescribed for admission, nor will affect the division category of the candidate. Reservation of Seats 1. 21%, 2%, and 27% seats in all courses are reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and OBC categories, respectively. However, reservation of 5% (new GO 2016), 2%, and 1% will be permissible to candidates belonging to Physically Handicapped (40%or more handicap), Dependent of Freedom Fighter, and Dependent of Ex-serviceman categories within each one of the SC/ST, OBC, and general category. Reservation shall be given as per the prevailing government rules at the time of admission and are subject to modification by the competent authority. Candidates seeking admission in economically weaker section (EWS), should be a 'general' candidate (not covered under reservation for SC, ST, or OBC) and should have a family's gross annual

income below Rs. 8 lakhs. EWS certificate from competent authority is a must for such candidates. EWS seats shall be appended as per Government of UP guidelines. Applicants claiming reservation in the above categories shall enclose self-attested copies of supporting certificate(s) in the given prescribed proforma along with the application. 20% Seats will be reserved for Girls horizontally. Note: Physically handicapped candidates shall enclose a self-attested copy of the certificate issued by Chief Medical Officer of the district along with the application. In case, a candidate does not claim reservation in the application form, he/she will be treated in general category and no change would be permitted after submitting the application form. In case, the requisite number of eligible candidates of reserved categories is not available, the vacant seats may be filled by the General category candidates. The merit list will be prepared on the basis of marks secured in the qualifying exam and weightage, the eligible candidates only, according to the norms admissible under the UP Govt. Order. provisions. No candidate shall be included in the merit list if he/she fails to secure minimum qualifying marks in qualifying examination. Candidates selected for admission will be intimated by the respective school. The registrations and admissions to these courses will be carried out online through the common admission portal for the Campus. A particular Merit List shall be displayed for 2–3 days, before being replaced by the subsequent one, if University decides so. Thus, the applicants are advised to check the Merit Lists regularly and take care of the necessary formalities pertaining to admissions.

प्रवेश नियमावली समिति

(Dr. R. S. Singh) Rtd. Prof. J V Jain College Saharanpur	(Dr. Vinod Kumar) Rtd. Prof. J V Jain College Saharanpur	(Dr. Surender Kaur) Rtd. Prof. ML&JNK Girls College Saharanpur

1. Approved List of Boards/Universities
2. NEP Guidelines in PG Courses - **www.msuniversity.ac.in/pdf/nep/NEP-2020-ug-pg-phd.py**

 # Detail Rules & Regulation Uploaded on the MS University Portal separately. www.msuniversity.ac.in